रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2007/श्रावण 4, 1929
No. 914] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2007/SRAVANA 4, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2007

का.आ. 1219(अ).—केन्द्रीय सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) सं. 1985 का 13029 में तारीख 7 जनवरी, 1998 के आदेश के अनुपालन में, तारीख 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 93(अ) के अधीन पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (ई पी सी ए) का गठन किया था;

और उक्त प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और क्वालिटी सुधार और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया था;

और उक्त प्राधिकरण उपरोक्त निर्दिष्ट अधिसूचना के निबंधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय की सहायता कर रहा है;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्राधिकरण के कार्यकाल का समय-समय पर विस्तार किया जाता रहा है और इसे अंतिम बार 27 अप्रैल, 2007 को विस्तारित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त प्राधिकरण का कार्यकाल एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तार करना आवश्यक समझती है ताकि प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सके ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 29 जनवरी, 1998 के आदेश सं. का.आ. 93(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त आदेश के पैरा 1 में "नौ वर्ष और छः मास की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष और छः मास की अवधि के लिए या पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अधीन की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं तक, जो भी पहले हों" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. क्यू-18011/13/2000-सी पी ए]

आर.के. वैश, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :–मूल आदेश को भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 93(अ), तारीख 29 जनवरी, 1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 68(अ), तारीख 25 जनवरी, 2000, सं. का.आ. 108(अ), तारीख 25 जनवरी, 2002, सं. का.आ. 99(अ), तारीख 28 जनवरी, 2003, सं. का.आ. 396(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2003, सं. का.आ. 94(अ), तारीख 25 जनवरी, 2006, सं. का.आ. 1207(अ), तारीख 27 जुलाई, 2006 और सं. का.आ. 679(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2007 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 26th July, 2007

S.O. 1219(E).—Whereas in pursuance of the order dated 7th January, 1998 of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 13029 of 1985, the Central Government constituted the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA), *vide* Notification No. S.O. 93(E), dated 29th January, 1998;

And whereas the said Authority was constituted with the objective of protecting and improving the quality

of the environment and preventing and controlling environmental pollution in the National Capital Region;

And whereas the said Authority is assisting the Hon'ble Supreme Court in various environment related matters in the National Capital Region in terms of the above referred Notification;

And whereas the tenure of the said Authority was extended from time to time by the Central Government and lastly it was extended on 27th April, 2007;

And whereas the Central Government considers its necessary to extend the tenure of the said Authority for a further period of one year so that the Authority is able to address those important issues relating to pollution in the National Capital Region;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 93(E), dated the 29th January, 1998, namely :—

In the said Order, in paragraph 1, for the words "for a period of nine years and six months", the words "for a period of ten years and six months or till alternative arrangements are made under Section 3(3) of Environment (Protection) Act, 1986, whichever is earlier" shall be substituted.

[F. No. Q-18011/13/2000-CPA]

R.K. VAISH, Jt. Secy.

Note :—The principal Order was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 93(E), dated the 29th January, 1998 and subsequently amended *vide* No. S.O. 68(E), dated the 25th January, 2000, No. S.O. 108(E), dated the 25th January, 2002, No. S.O. 99(E), dated the 28th January, 2003, No. S.O. 396(E), dated the 3rd April, 2003, No. S.O. 94(E), dated the 25th January, 2006, No. S.O. 1207(E), dated the 27th July, 2006 and No. S.O. 679(E), dated the 27th April, 2007.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054